न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 146/2019(2019/00228)

अनवान : —

1. अभिमन्यु पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सिद्धार्थ पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. जगतपाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. एसबीआई बैंक हिसार बस स्टैण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड भादरा हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री भानूप्रताप बैनीवाल वादीगण
श्री अमरजीत बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 23/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 3/3 के खसरा न0 351 की 0.101 है0, खसरा न0 568/354 की 0.658 है0 कुल 0.759 हैक्टेयर, खाता संख्या 5/5 के खसरा न0 349 की 5.058 है0, खाता संख्या 6/4 के खसरा न0 104 की 2.239 है0, खसरा न0 228 की 0.645 है0, खसरा न0 326 की 12.583 है0, खसरा न0 354 की 3.073 है0, खसरा न0 434/352 की 0.291 है0, खसरा न0 442/390 की 1.745 है0 कुल 20.576 है0 प्रतिवादी संख्या 1 जगतपाल के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा अमरसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। अमरसिंह के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी जगतपाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी जगतपाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी जगतपाल के नाम दर्ज होने से वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.10 10:12:37 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जगतपाल को वादी के दादा अमरसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है। चक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला—हनुमानगढ़)

मुन्सरी बारानी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 3/3, 5/5 6/4 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि से केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादीगण पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 3/3 के खसरा न0 351 की 0.101 है0, खसरा न0 568/354 की 0.658 है0 कुल 0.759 हैक्टेयर, खाता संख्या 5/5 के खसरा न0 349 की 5.058 है0, खाता संख्या 6/4 के खसरा न0 104 की 2.239 है0, खसरा न0 228 की 0.645 है0, खसरा न0 326 की 12.583 है0, खसरा न0 354 की 3.073 है0, खसरा न0 434/352 की 0.291 है0, खसरा न0 442/390 की 1.745 है0 कुल 20.576 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 जगतपाल के नाम 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 जगतपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुरार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी अभिमन्यु पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी मुन्सरी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, जमावंदी ग्राम मुन्सरी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 3/3, 5/5, 6/4 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवायें।

वहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने वहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 3/3 के खसरा न0 351 की 0.101 है0, खसरा न0 568/354 की 0.658 है0 कुल 0.759 हैक्टेयर, खाता संख्या 5/5 के खसरा न0 349 की 5.058 है0, खाता संख्या 6/4 के खसरा न0 104 की 2.239 है0, खसरा न0 228 की 0.645 है0, खसरा न0 326 की 12.583 है0, ख[illegible] न0 [illegible]4 की 3.073 है0, खसरा न0 434/352 की 0.291 है0, खसरा न0 442/390 की [illegible] कुल 20.576 है0में प्रतिवादी संख्या 1 जगतपाल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी [illegible] भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 3/3 के खसरा न0 351 की 0.101 है0, खसरा न0 568/354 की 0.658 है0 कुल 0.759 हैक्टेयर, खाता संख्या 5/5 के खसरा न0 349 की 5.058 है0, खाता संख्या 6/4 के खसरा न0 104 की 2.239 है0, खसरा न0 228 की 0.645 है0, खसरा न0 326 की 12.583 है0, खसरा न0 354 की 3.073 है0, खसरा न0 434/352 की 0.291 है0, खसरा न0 442/390 की 1.745 है0 कुल 20.576 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 जगतपाल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी जगतपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 अभिमन्यु, वादी संख्या 2 सिद्धार्थ व प्रतिवादी संख्या 1 जगतपाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.20...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:37 IST
Reason: SelfAttested